परिशिष्ट

1.1 प्रदेश का परिदृश्य

(संदर्भः पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आंकड़े			
क्र0सं0	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या		
	अ.	2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़
	ब.	2011 की जनगणना के अनुसार	19.96 करोड़
3	अ.	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब.	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 27.5 *प्रतिशत*)		32.8 प्रतिशत
5	अ.	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 *प्रतिशत*)	56.27 प्रतिशत
	ब.	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 *प्रतिशत*)	69.72 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)		63
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 63.5 वर्ष)		60
8	गिनी गुणांक[1]		
	अ.	ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत = 0.30)	0.29
	ब.	शहरी (सम्पूर्ण भारत = 0.37)	0.37
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2011-12 चालू मूल्यों पर		₹ 6,87,836 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	उत्तर प्रदेश	11.00 प्रतिशत
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.09 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर(2002-03से2011-12)	उत्तर प्रदेश	12.77 प्रतिशत
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.46 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2002 से 2012)	उत्तर प्रदेश	17.15 प्रतिशत
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.90 प्रतिशत

ब. वित्तीय आंकड़े					
क्र0सं0	विवरण		आंकड़े (*प्रतिशत* में)		
13	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		2002-03से 2010-11		2002-03 से 2011-12
			सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	क.	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	18.91	18.77
	ख.	स्वयं का कर	16.74	15.74	17.04
	ग.	करेत्तर राजस्व	12.84	24.69	20.37
	घ.	कुल व्यय	14.58	16.68	16.33
	ड.	पूंजीगत व्यय	21.25	23.30	21.30
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.41	16.76	17.54
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	14.00	16.86	15.60
	ज.	वेतन एवं मजदूरी[2]	13.43	15.46	15.77
	झ.	राजस्व प्राप्तियों का	16.89	20.97	19.94

स्रोतः वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आंकड़े, 61वां राउण्ड), गिनी गुणांक (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. का अनधिकारिक आकलन, 61वां राउण्ड 2004–05 एमआरपी), जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (भारत के महानिबन्धक का कार्यालय; गृहमंत्रालय; आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12), शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस. बुलेटिन जनवरी 2012)।

[1]गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी।

[2] वर्ष 2002–03 से 2010–11 अथवा 2011–12 अवधि के लिए जैसा भी प्रकरण हो।

परिशिष्ट

1.2 राज्य सरकार के लेखे एवं वित्त लेखे का प्रारूप

(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

भाग–क : सरकारी लेखे का रुप एवं ढाँचा
सरकारी लेखों का ढाँचा: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा। **भाग-1 समेकित निधिः** राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है। **भाग-2 आकस्मिकता निधि** : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है। **भाग-3 लोक लेखाः** प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों, यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते,को संविधान की धारा 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग–ख : वित्त लेखे का प्रारूप	
विवरण	**प्रारूप**
वित्त लेखा दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रुप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। **भाग एक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र, चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।**	
खण्ड–1	
1	वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी एवं देयताओं की प्रगामी वित्तीय स्थिति
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों के तीन भागों का विवरण
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण जिसमें राजस्व, पूंजीगत और उधार से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण जिसमें व्यय की प्रकृति तथा कार्य से सम्बन्धित है।
परिशिष्ट–1	नगद शेष और नगद शेष का निवेश

खण्ड–2	
भाग–1	
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय को विवरण संख्या 1 में दिखाया गया है।
6	उधार और अन्य दायित्व जैसे कि बाजार ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम और उनकी वसूली का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदान का विवरण।
9	वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों सरकारी कम्पनियों स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी का विवरण।
10	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण। विस्तृत विवरण दत्तमत और प्रभारित व्यय।
भाग–2	
11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण ।
12	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
13	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
14	संविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों सहकारी बैंकों समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
15	उधार एवं अन्य दायित्वों और परिपक्वता और भुगतान का विवरण ।
16	सरकार द्वारा दिए गये अग्रिमों ऋण शेष में परिवर्तन, ऋण माफी और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां इत्यादि का विस्तृत विवरण।
17	राजस्व लेखा से भिन्न व्ययों के लिए स्रोत एवं निधियों के प्रयोग का विस्तृत विवरण।
18	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के लेन–देनों का विस्तृत विवरण।
19	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण।
भाग–3 परिशिष्ट	
परिशिष्ट–2	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–3	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–4	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–5	वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–6	आयोजनागत योजना व्यय
परिशिष्ट–7	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का लागू करने वाली एजेन्सियों को सीधे हस्तान्तरण
परिशिष्ट–8	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की शेष राशियों का सारांश
परिशिष्ट–9	सिंचाई निर्माण कार्य के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–10	अपूर्ण लोकनिर्माण कार्य संविदाओं पर वचनबद्धताओं का विवरण
परिशिष्ट–11	राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरुप ऐसी मदों का विवरण, जिनके शेषों का विभाजन अंतिम रुप से नहीं हुआ
परिशिष्ट–12	राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण
परिशिष्ट–13	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मुख्य नीति विषयक निर्णय लिए गये तथा भावी नगद प्रवाह हेतु नई बजट योजनाएँ प्रस्तावित की गई ।

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण					
2010-11			2011-12	2010-11			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग 2011-12
1,11,183.76	**I**	**राजस्व प्राप्तियां**	**1,30869.70**	**1,07,675.61**	**I**	**राजस्व व्यय**	**1,01,269.25**	**22,615.92**	**1,23,885.17**
41,109.85		कर राजस्व	**52,613.43**	**48,019.17**		**सामान्य सेवाएं**	**52,345.19**	**601.73**	**52,946.92**
				39,566.70		**सामाजिक सेवाए**	**29,781.35**	**17,609.59**	**47,390.94**
11,176.21		करेतर राजस्व	10,145.30	20,954.24		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	21,017.07	4,957.97	25,975.04
				5,444.20		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,342.17	1,427.91	5,770.08
43,464.05		संघीय करों में राज्यांश	50,350.95	1,715.63		जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरीविकास	238.61	1,656.43	1,895.04
				79.47		सूचना एवं प्रसारण	84.09	00.42	84.51
3,092.99		आयोजनेतर अनुदान	4,396.73	2,945.07		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,563.41	1,819.03	3,382.44
6,772.07		राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	6,813.28	363.79		श्रम तथा श्रमिक कल्याण	274.16	167.72	441.88
				8,003.89		समाज कल्याण तथा पोषण	2,199.16	7,580.11	9,779.27
5,568.59		केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	6,549.89	60.41		अन्य	62.68	-	62.68
--			00.12	**15,725.03**		**आर्थिक सेवाएं**	**13,887.61**	**4,404.60**	**18,292.21**
				3,569.94		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,284.42	1,367.13	3,651.55
				4,003.08		ग्राम्य विकास	2,337.72	2,191.79	4,529.51
				80.83		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	60.96	60.96
				3,610.25		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,400.08	609.24	4,009.32
				2,174.18		ऊर्जा	3,500.40	35.14	3,535.54
				299.04		उद्योग एवं खनिज	206.11	113.61	319.72

				1,742.45		परिवहन	1,936.91	6.96	1,943.87
				31.12		विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	12.78	17.88	30.66
				214.14		सामान्य आर्थिक सेवाए	209.20	1.88	211.08
				4,364.71		**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**5,255.10**	**-**	**5,255.10**
		योग	1,30,869.70	1,07,675.61		योग			1,23,885.17
-	II	राजस्व घाटा खण्ड 'ख' को प्रेषित	–	3,508.15	II	राजस्व अधिशेष खंड 'ख' को प्रेषित	–	--	6,984.53
1,11,183.76		योग	1,30,869.70	1,11,183.76		योग			1,30,869.70
					खण्ड 'ब'				
3,405.36	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	10304.99	-	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अत्याहरण	-	-	-
--	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	–	20,272.80	IV	पूंजीगत परिव्यय	838.86	20,735.10	21,573.96
				1,002.05		**सामान्य सेवाएं**	**667.68**	**475.94**	**1,143.62**
				4,795.47		**सामाजिक सेवाएं**	**38.93**	**5,148.21**	**5,187.14**
				710.04		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3.07	328.09	331.16
				1,032.22		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.65	932.74	942.39
				2,477.23		जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	24.03	3,527.38	3,551.41
				--		सूचना एवं प्रसारण	–	--	--
				65.28		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	46.70	46.70
				394.83		समाज कल्याण तथा पोषण	00.22	239.87	240.09
				115.87		अन्य	1.96	73.43	75.39
				14,475.28		**आर्थिक सेवाएं**	**132.26**	**15,110.94**	**15,243.20**
				(-)837.57		कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-)525.84	398.46	(-)127.38
				2,732.28		ग्राम्य विकास	-	2,755.84	2,755.84
				1,192.80		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	1,480.80	1,480.80
				2,549.88		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	2,124.87	2,124.87

				4,099.52		ऊर्जा	654.00	3,660.36	4,314.36
				7.79		उद्योग एवं खनिज	5.06	(-) 1.49	3.57
				4,633.74		परिवहन	(-) 00.96	4,652.16	4,651.20
				96.84		सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	39.94	39.94
				-		विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	-	-	-
485.17	**V**	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**133.17**	**968.22**	**V**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	**561.09**	**414.48**	**975.57**
100.00		विद्युत परियोजनाओं से	00.00	-		विद्युत परियोजनाओं से	-	-	-
61.36		सरकारी कर्मचारियों से	74.11	108.05		सरकारी कर्मचारियों से	115.67	-	115.67
323.81		अन्य से	59.06	860.17		अन्य को	445.42	414.48	859.90
3,508.15	**VI**	**अधोनीत राजस्व अधिशेष**	**6,984.53**	**-**	**VI**	**अधोनीत राजस्व घाटा**	**-**	**-**	**-**
21,394.08	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**19,652.30**	**7,383.08**	**VII**	**लोक ऋण की अदायगी**	**-**	**-**	**8,287.61**
		बाह्य ऋण		-		बाह्य ऋण			
20,316.84		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण	19,336.67	5,368.83		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण			6,973.02
713.88		अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	-	713.88		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	-
-		ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन	-	-		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अत्याहरण से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	-
363.36		केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	315.63	1,300.37		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	-	-	1,314.59
-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-	-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-	-	-
Nil	**IX**	**आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि**	**39.89**	**39.90**	**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**	-	-	**309.64**
1,27,649.22	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**1,38,449.36**	**1,17,472.99**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**1,30,970.76**
9,857.02		अल्पबचतें एवं भविष्यनिधियां इत्यादि	9,539.26	4,986.05		अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां इत्यादि	-	-	5,908.99

8,576.84		आरक्षित निधियां	10,255.12	6,238.19		आरक्षित निधियां	-	-	4,767.87
75,906.97		उचन्त एवं विविध	89,398.38	75,149.69		उचन्त एवं विविध			88,790.15
17,747.96		प्रेषण	18,705.74	17,381.23		प्रेषण			18,914.42
15,560.43		जमा तथा अग्रिम	10,550.86	13,717.83		जमा तथा अग्रिम			12,589.33
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष**	**-**	**10,304.99**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**13,446.70**
				#		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			#
				414.63		रिजर्व बैंक में जमा	-	-	(-) 619.34
				12.55		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			13.32
				9,877.81		रोकड़ शेष निवेश			14,052.72
1,56,441.98		**योग**	**3,06,433.94**	**1,56,441.98**		**योग**			**3,06,433.94**

(#) 'र एक लाख से कम धनराशि'

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना

(संदर्भः प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि(+)/ घाटा (-)	वृद्धि(+)/घाटा (-) *प्रतिशत* में
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व प्राप्तियां जिसमें	**1,31,428.70**	**1,37,622.09**	**1,30,869.70**	**(-)6,752.39**	**(-)4.91**
कर राजस्व	**50,334.19**	**50,866.44**	**52,613.43**	**1,746.99**	**3.43**
बिक्री व्यापार आदि पर कर	32,000.00	31,564.12	33,107.34	1,543.22	4.89
राज्य आबकारी	8,124.08	8,252.69	8,139.20	(-)113.49	(-)1.38
परिवहन कर	2,329.95	2,535.98	2,375.86	(-)160.12	(-)6.31
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	6,993.99	7,629.50	7,694.41	64.91	0.85
माल भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	-	-	4.81	4.81	100.00
भू–राजस्व	245.87	245.87	490.68	244.81	99.57
अन्य कर	640.30	638.28	801.13	162.85	25.51
करेत्तर राजस्व	**12,111.56**	**13,559.81**	**10,145.30**	(-)3,414.51	(-)25.18
ब्याज प्राप्तियां	914.13	924.55	789.22	-135.33	(-)14.64
विविध सामान्य सेवाएं	4,216.01	4,522.75	4,035.23	(-)487.52	(-)10.78
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	900.00	900.00	593.28	(-)306.72	(-)34.08
अन्य करेत्तर राजस्व	6,081.42	7,212.51	4,727.57	(-)2,484.94	(-)34.45
राजस्व व्यय जिसमें	**48,275.18**	**51,919.54**	**50,350.95**	(-)1,568.59	(-)3.02
सामान्य सेवाएं	**20,707.77**	**21,276.30**	**17,760.02**	(-)3,516.28	(-)16.53
प्रशासनिक सेवाएं	**1,25,793.66**	**1,29,645.54**	**1,23,885.17**	(-)5,760.37	(-)4.44
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं	**52,545.87**	**52,787.37**	**52,946.91**	159.54	0.30
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	10,460.67	10,862.95	10,390.68	(-)472.27	(-)4.35
राजकोषीय सेवाएं	13,787.84	13,782.87	14,157.32	374.45	2.72
सरकार के अंग	23,768.56	23,513.77	24,107.57	593.80	2.53
सामाजिक सेवाएं	2,832.77	2,866.72	2,815.72	(-)51	(-)1.78
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,696.03	1,761.06	1,475.62	(-)285.44	(-)16.21
समाज कल्याण एवं पोषण	**49,091.76**	**51,259.27**	**47,390.94**	(-)3,868.33	(-)7.55
कल्याण एवं पोषण	27,221.01	27,843.87	25,975.04	(-)1,868.83	(-)6.71
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,497.51	10,885.86	9,779.27	(-)1,106.59	(-)10.17
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,154.75	3,175.49	3,382.44	206.95	6.52

सूचना एवं प्रसारण	6,042.93	6,060.76	5,770.08	(-)290.68	(-)4.80
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	2,482.97	2,415.63	1,895.04	(-)520.59	(-)21.55
सूचना एवं प्रसारण	145.36	145.36	84.51	(-)60.85	(-)41.86
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	471.20	655.24	441.88	(-)213.36	(-)32.56
अन्य	76.03	77.06	62.68	(-)14.38	(-)18.66
आर्थिक सेवाएं	**18,847.78**	**20,290.65**	**18,292.21**	(-)1,998.44	(-)9.85
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	4,003.05	4,501.15	3,651.55	(-)849.60	(-)18.87
ग्राम्य विकास	4,063.27	4,814.57	4,529.51	(-)285.06	(-)5.92
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	316.46	113.38	60.96	(-)52.42	(-)46.23
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,801.14	4,801.14	4,009.32	(-)791.82	(-)16.49
शक्ति	3,019.42	3,521.22	3,535.54	14.32	0.41
उद्योग एवं खनिज	510.91	406.20	319.72	(-)86.48	(-)21.29
यातायात एवं संचार	1,843.89	1,841.27	1,943.87	102.60	5.57
विज्ञान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी	34.24	34.74	30.66	(-)4.08	(-)11.74
सामान्य आर्थिक सेवाएं	255.40	256.98	211.08	(-)45.9	(-)17.86
सहायक अनुदान एवं अंशदान	**5,308.25**	**5,308.25**	**5,255.10**	(-)53.15	(-)1.00
पूंजीगत व्यय जिसमें	**24,343.18**	**25,959.72**	**21,573.96**	(-)4,385.76	(-)16.89
सामान्य सेवाएं	**1,566.82**	**1,864.88**	**1,143.62**	(-)721.26	(-)38.68
सामाजिक सेवाएं	**6,078.94**	**6,835.25**	**5,187.14**	(-)1,648.11	(-)24.11
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	600.74	662.82	331.16	(-)331.66	(-)50.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,205.87	1,262.87	942.39	(-)320.48	(-)25.38
जलआपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,450.97	4,144.47	3,551.41	(-)593.06	(-)14.31
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	148.11	148.11	46.70	(-)101.41	(-)68.47
समाज कल्याण	586.88	527.61	240.09	(-)287.52	(-)54.49
अन्य सामाजिक सेवाएं	86.37	89.37	75.39	(-)13.98	(-)15.64
आर्थिक सेवाएं	**16,697.42**	**17,259.59**	**15,243.20**	(-)**2,016.39**	(-)**11.68**
कृषि तथा अन्य क्रिया सम्बद्ध क्रियाकलाप	38.70	110.46	**(-) 127.38**	(-)237.84	215.32
ग्राम्य विकास	2,069.30	2,948.53	2,755.84	(-)192.69	(-)6.54
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,980.11	1,995.57	1,480.80	(-)514.77	(-)25.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,551.34	2,944.19	2,124.87	(-)819.32	(-)27.83
शक्ति	4,107.00	3,737.00	4,314.36	577.36	15.45
उद्योग एवं खनिज	8.00	8.00	3.57	(-)4.43	(-)55.38
यातायात एवं संचार	4,876.87	5,449.74	4,651.20	(-)798.54	(-)14.65
विज्ञान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी	-	-	-	0	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	66.10	66.10	39.94	(-)26.16	(-)39.58
राजस्व वृद्धि (+)/कमी (–)	**(+) 5,635**	**(+) 7,977**	**(+) 6,984**	**(-) 993**	**(-) 12.45**
राजकोषीय घाटा (–)	**(-) 18,960**	**(-) 18,686**	**(-) 15,433**	**3,253**	**17.41**
प्राथमिक वृद्धि (+)/कमी (–)	**(-) 3,977**	**(-) 3,772**	**(+) 48**	**3,820**	**101.27**

परिशिष्ट 1.5

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(संदर्भः प्रस्तर 1.6.1; पृष्ठ 12)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग अ. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**68,672**	**77,831**	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**
(i) कर राजस्व	*24,959(36)*	*28,659 (37)*	33,878(35)	41,110(37)	52,613 (40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	*15,023(60)*	*17,482 (61)*	20,825 (62)	24,837(60)	33,107 (63)
राज्य आबकारी	*3,948(16)*	*4,720 (17)*	5,666 (17)	6,723(16)	8,139 (15)
वाहन पर कर	*1,146(05)*	*1,125 (4)*	1,404 (4)	1,817(4)	2,376 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	*3,977(16)*	*4,138 (14)*	4,562 (13)	5,975(15)	7,694 (15)
भू–राजस्व	*393(2)*	*549 (2)*	663 (2)	1,134(3)	491 (1)
माल तथा यात्री कर	110	*266(1)*	271 (1)	242(1)	5 (0)
अन्य कर	*362(1)*	*379 (1)*	487 (1)	382(1)	801 (2)
(ii) करेतर राजस्व	*5,816(08)*	*6,767 (8)*	13,601(14)	11,176(10)	10,145 (8)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	*29,288(43)*	*30,906 (40)*	31,797 (33)	43,464(39)	50,351 (38)
(iv)भारत सरकार से सहायता अनुदान	*8,609(13)*	*11,499 (15)*	17,146 (18)	15,434(14)	17,760 (14)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**449**	**778**	**293**	**485**	**133**
4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**69,121**	**78,609**	**96,714**	**1,11,669**	**1,31,002**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**9,079**	**16,760**	**22,489**	**21,394**	**19,652**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	*8,710(96)*	*16,339 (97)*	22,206 (99)	20,317 (95)	19,336 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	-	-	714(3)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*369(04)*	421 (3)	283 (1)	363(2)	316 (2)
6.समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**78,200**	**95,369**	**1,19,203**	**1,33,063**	**1,50,654**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**604**	**171**	**83**	-	**40**
8. लोकनिधि प्राप्तियां	**77,870**	**1,04,252**	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**1,56,674**	**1,99,792**	**2,19,194**	**2,60,712**	**2,89,143**
भाग ब. व्यय/वितरण					
10. राजस्व व्यय	**65,223(79)**	**75,969 (77)**	**89,374 (77)**	**1,07,676(83)**	**1,23,885 (84)**
आयोजनागत	*11,744(18)*	*17,291 (23)*	15,701(18)	21,040(20)	22,616 (18)
आयोजनेतर	*53,479(82)*	*58,678 (77)*	73,673 (82)	86,636(80)	1,01,269 (82)
सामान्य सेवाए (ब्याज भुगतान सहित)	*26,551(41)*	*29,769 (39)*	40,641(45)	48,019(45)	52,947 (43)
सामाजिक सेवाएं	*23,086(35)*	*28,546 (37)*	32,064 (36)	39,567(37)	47,391 (38)
आर्थिक सेवाएं	*12,037(18)*	*14,150 (19)*	13,308 (15)	15,725(15)	18,292 (15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	*3,549(6)*	*3,504 (5)*	3,360 (4)	4,365(4)	5,255 (4)
11. पूंजीगत व्यय	**16,950 (20)**	**22,346 (22)**	**25,091 (22)**	**20,273(16)**	**21,574 (15)**
आयोजनागत	*13,720(81)*	18,088 (81)	19,224 (77)	19,581(97)	20,735 (96)
आयोजनेतर	*3,230(19)*	4,258 (19)	5,867 (23)	692(3)	839 (4)

सामान्य सेवाएं	*575(3)*	841 (4)	611 (2)	1,002(5)	1,144 (5)
सामाजिक सेवाएं	*2,113(13)*	2,946 (13)	4,702 (19)	4,796(24)	5,187 (24)
आर्थिक सेवाएं	*14,262(84)*	18,559 (83)	19,778 (79)	14,475(71)	15,243 (71)
12.ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान	**742(1)**	**807 (1)**	**942 (1)**	**968(1)**	**976(1)**
13. योग (10+11+12)	**82,915**	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**
14.लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**5,369**	**6,776**	**7,669**	**7,383**	**8,288**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	*4,179(78)*	5,577(82)	6,469 (84)	5,369(73)	6,973 (84)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	-	-	714(10)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	*1,190(22)*	1,199 (18)	1,200 (16)	1,300(17)	1,315 (16)
15.आकस्मिकता निधि से विनियोग	**-**	-	**-**	**-**	**-**
16.समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**88,284**	**1,05,898**	**1,23,076**	**1,36,300**	**1,54,723**
17.आकस्मिकता निधि संवितरण	**117**	**-**	**-**	**40**	**310**
18.लोक लेखा संवितरण	**68,560**	**1,00,027**	**1,01,780**	**1,17,473**	**1,30,971**
19.राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**1,56,961**	**2,05,925**	**2,24,856**	**2,53,813**	**2,86,004**
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (–) आधिक्य (+)(1–10)	**(+)3,449**	**(+)1,862**	**(+) 7,047**	**(+)3,508**	**(+)6,984**
21. राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)(4–13)	**(-)13,794**	**(-)20,513**	**(-)18,693**	**(-)17,248**	**(-) 15,433**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-)2,974**	**(-)9,138**	**(-) 6,705**	**(-)3,032**	**(+) 48**
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**10,820**	**11,375**	**11,988**	**14,216**	**15,481**
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	**15,360**	**15,822**	**18,120**	**30,683**	**39,214**
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट का लाभ (दिवसों की संख्या)					**-**
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**
ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	**3,57,557**[3]	**4,12,151**[4]	**4,91,302**[5]	**5,88,467**[6]	**6,87,836**[7]
28. राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	**1,74,248**	**1,87,411**	**2,01,720**	**2,24,785**	**2,43,229**
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्षान्त) ब्याज सहित	**12,736**	**16,084**	**20,038**	**20,162**	**21,752**
30. प्रतिभूति की गयी अधिकतम धनराशि(वर्षान्त)	**18,144**	**27,892**	**29,311**	**29,778**	**29,629**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**53**	**98**	**126**	**119**	**183**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**5,863**	**4,598**	**880.85**	**2,735**	**2,453**

[3] 2007–08 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अस्थाई आंकड़े है।
[4] 2008–09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े है।
[5] 2009–10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े हैं।
[6] 2010–11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े है।
[7] 2011–12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े हैं।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के सूचक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वकर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.98	6.95	6.90	6.99	7.65
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.63	1.64	2.77	1.90	1.47
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8.19	7.50	6.47	7.39	7.32
II. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.19	24.05	23.49	21.91	21.29
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	120.74	127.36	119.69	115.95	111.89
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.66	76.64	77.44	83.52	84.60
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	30	32	32	34	36
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32	33	29	23	23
राजस्व व्यय/कुल व्यय	20	23	22	16	15
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय/कुल व्यय	20	22	21	15	14
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य) सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	-	-	-	
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)3.86	(-)4.98	(-)3.80	(-)2.93	(-) 2.24
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)0.83	(-)2.22	(-)1.36	(-)0.52	(+) 0.007
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	--	--	--	--	--
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.06	(-) 2.31	(-) 1.01	(-)1.82	(-) 1.24
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	49	45	41	38	35
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	254	241	209	202	186
प्राथमिक घाटा के साथ प्र–मात्रा विस्तार	(+)4,664	(+)8,426	(+)17,733	(+)23,413	(+) 23,134
ऋण मोचन (कुल ब्याज) कुल ऋण प्राप्ति	97	96	96	84	94
V. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
निवेश पर प्रतिफल	1.05	1.26	0.84	26.81	38.17
चालू राजस्व से अवशेष (₹ करोड़ में)	12,536	13,960	14,422	19,530	24,864
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.63	0.66	0.72	0.77	0.81

कोष्टक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
@शासन द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

1.6 स्वयं का कर राजस्व एवं करेतर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए

(संदर्भः प्रस्तर 1.6.2; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए						
शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
बिक्री व्यापार आदि पर कर	15,023	17,482	20,825	24,837	31,564	33,107
राज्य आबकारी	3,948	4,720	5,666	6,723	8,253	8,139
परिवहन कर	1,146	1,125	1,404	1,817	2,536	2,376
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	3,977	4,138	4,562	5,975	7,629	7,694
भू–राजस्व	393	549	663	1,134	246	491
माल–भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	110	266	271	242	-	5
अन्य कर	362	379	487	382	638	801
योग	**24,959**	**28,659**	**33,878**	**41,110**	**50,866**	**52,613**

स्रोतः - वित्त लेखे

(₹करोड़ में)

(ब) करेतर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए						
शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,258	1,013	631	716	924	827
सामान्य सेवायें	1,511	2,120	8,482	5,807	4,523	4,907
सामाजिक सेवायें	1,451	1,829	2,622	3,019	5,245	2,662
आर्थिक सेवायें	1,596	1,805	1,866	1,634	2,868	1,749
योग	**5,816**	**6,767**	**13,601**	**11,176**	**13,560**	**10,145**

स्रोतः - वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.7

अपरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 1.7.5; पृष्ठ 29)

पंचायती राज संस्थाओं की इकाइयों के नाम	अपरीक्षित इकाइयाँ		संपरीक्षित इकाइयाँ		अवशेष (प्रतिशत में)	
	चालू वर्ष हेतु प्रस्तावित	विगत वर्षों में अवशेष	चालू वर्ष के सापेक्ष	अवशेष के सापेक्ष	चालू वर्ष के सापेक्ष	अवशेष के सापेक्ष
2009-10						
जिला पंचायत	70	173	29	58	41(59)	115 (66)
क्षेत्र पंचायत	810	6,113	73	291	737 (91)	5,822 (95)
ग्राम पंचायत	51,977	2,27,641	23,988	28,670	27,989 (54)	1,98,971
2010-11						
जिला पंचायत	70	156	30	36	40 (57)	120 (77)
क्षेत्र पंचायत	809	6,559	58	194	751 (93)	6,365 (97)
ग्राम पंचायत	51,944	2,26,960	19,820	15,485	32,124 (62)	2,11,475 (93)
2011-12						
जिला पंचायत	71	160	30	33	41 (58)	127 (79)
क्षेत्र पंचायत	819	7,116	115	402	704 (86)	6,714 (94)
ग्राम पंचायत	51,257	2,43,599	24,929	19,578	26,328 (51)	2,24,021 (92)

स्रोत –सम्पादन–I की आपत्ति पुस्तक

परिशिष्ट 1.8

अवशेष लेखापरीक्षा प्रस्तरों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 1.7.5; पृष्ठ 29)

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रस्तरों का प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान प्रस्तरों में वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तर		अवशेष प्रस्तर	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
2005-06 से 2007-08	2007-08 तक के प्रस्तरों की संख्या और मूल्य				-	-	8146	28,128.92
2008-09	8146	28,128.92	1779	22,615.28	-	-	9925	50,744.20
2009-10	9925	50,744.20	2771	38,679.91	-	-	12696	89,424.11
2010-11	12696	89,424.11	1308	16,219.90	-	-	14004	1,05,644.01
2011-12	14004	1,05,644.01	2033	24,237.45	-	-	16037	1,29,881.46

स्रोतः सम्पादन–I की आपत्ति पुस्तक

परिशिष्ट 1.9

31 मार्च 2012 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.10.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 को	देयताएं		31.03.2012 को
1,28,024.97	**आंतरिक ऋण**		**1,40,388.62**
65,003.77	ब्याज भारित बाजार ऋण	77,837.61	
2.86	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	3.21	
24.55	जीवन बीमा निगम से ऋण	18.91	
63,024.48	अन्य संस्थानों से ऋण	62,559.58	
(-)30.69	अर्थोपाय अग्रिम	-30.69	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-	
18509.83	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**17,510.87**
9.96	1984–85 से पहले का ऋण	9.96	
108.88	आयोजनेतर ऋण	101.29	
18,170.44	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	17,201.43	
0.84	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.80	
218.28	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	195.96	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	**आकस्मिक निधि**	-	**600.00**
34,099.98	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	-	**37,730.24**
18,054.02	**जमा**	-	**16,015.72**
26,096.44	**आरक्षित निधियां**	-	**31,583.69**
642.25	**प्रेषण शेष**	-	**433.57**
2,26,027.49	**योग**		**2,44,262.71**
	परिसम्पत्तियां		
1,56,865.38	**अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	-	**1,78,439.34**
38,272.54	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	42,607.07	
1,18,592.84	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,35,832.27	
39.90	**आकस्मिकता निधि (असमायोजित)**	-	**309.64**
10,145.58	**ऋण एवं अग्रिम**	-	**10,987.99**
2,681.49	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2,681.49	
7,333.30	अन्य विकास ऋण	8,134.14	
130.79	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	172.36	
45.20	**आरक्षित निधियों में निवेश**	-	**45.20**
8.94	**अग्रिम**	-	**9.11**
(-)3,946.99	**उचन्त एवं विविध शेष**	-	**(-) 4,555.23**
10,304.99	**रोकड़**	-	**13,446.70**
-	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
414.63	रिजर्व बैंक में जमा	-619.34	
12.13	विभागीय रोकड़ शेष सहित	12.90	
0.42	स्थाई अग्रिम	00.42	
9877.81	रोकड़ शेष निवेश	14,052.72	
52,564.49	**सरकारी लेखों में घाटा**	-	**45,579.96**
56,072.64	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	52,564.49	
3,508.15	(ii) **घटाना:** वर्तमान वर्ष में राजस्व वृद्धि	6,984.53	
2,26,027.49	**योग**		**2,44,262.71**

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.9 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती प्रदर्शकों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते है, सरकारी लेखे में घाटे जैसा कि **परिशिष्ट 1.9** में प्रदर्शित है रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच **₹ 220-51 करोड़ (निवल डेबिट)** का अन्तर था।

परिशिष्ट

2.1 अनुदानों/विनियोगों का विवरण,जहां प्रत्येक में बचत ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 50)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ करोड़ में)	बचत (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
		राजस्व –दत्तमत			
1.	**1**	आबकारी विभाग	115.74	15.09	**13**
2.	**2**	आवास विभाग	159.54	56.16	**35**
3.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	233.00	201.77	**87**
4.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	152.77	11.75	**8**
5.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,787.08	766.36	**28**
6.	**12**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	447.97	234.47	**52**
7.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,197.87	134.32	**6**
8.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2,732.44	211.62	**8**
9.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	435.36	34.21	**8**
10.	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	59.18	11.10	**19**
11.	**18**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	423.18	18.95	**4**
12.	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	147.88	36.76	**25**
13.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	7,330.43	54.74	**1**
14.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	110.53	21.19	**19**
15.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	958.61	10.91	**1**
16.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2,551.85	145.70	**6**
17.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	382.43	17.97	**5**
18.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,433.47	34.80	**2**
19.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	398.13	52.60	**13**
20.	**37**	नगर विकास विभाग	1,116.01	625.51	**56**
21.	**40**	नियोजन विभाग	487.34	365.46	**75**
22.	**42**	न्याय विभाग	1,223.73	172.36	**14**
23.	**44**	पर्यटन विभाग	20.75	4.77	**23**
24.	**45**	पर्यावरण विभाग	6.47	3.08	**48**
25.	**46**	प्राशासनिक सुधार विभाग	8.27	1.68	**20**
26.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	351.09	34.95	**10**
27.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	689.66	13.69	**2**
28.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,016.17	636.10	**16**
29.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	473.19	32.62	**7**
30.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2,145.01	397.38	**19**
31.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,710.52	69.90	**4**
32.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,219.35	238.54	**20**
33.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	5,817.10	59.73	**1**

34.	**63**	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	159.30	36.54	**23**
35.	**68**	विधान सभा सचिवालय	76.44	10.49	**14**
36.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19,678.40	888.00	**5**
37.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	7,239.71	582.87	**8**
38.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,115.20	745.76	**35**
39.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	103.97	35.90	**35**
40.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	538.01	356.82	**66**
41.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	434.33	77.54	**18**
42.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3,455.81	130.06	**4**
43.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	69.94	33.64	**48**
44.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,740.80	792.46	**12**
45.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	196.59	46.26	**24**
46.	**86**	सूचना विभाग	144.81	61.14	**42**
47.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,095.85	504.35	**24**
48.	**95**	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,014.26	18.03	**1**
49.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	8.33	3.49	**42**
		योग	**87,413.87**	**9,049.59**	**--**
		राजस्व –भारित			
1.	**1**	आबकारी विभाग	0.20	0.20	**100**
2.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.04	0.02	**50**
3.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.06	**40**
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.03	**21**
5.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.10	**100**
6.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.40	**53**
7.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	0.20	0.09	**45**
8.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.15	0.04	**27**
9.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.01	0.01	**100**
10.	**42**	न्याय विभाग	237.94	65.73	**28**
11.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.03	**75**
12.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	0.05	**100**
13.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	0.54	0.26	**48**
14.	**68**	विधान सभा सचिवालय	0.72	0.27	**38**
15.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.02	**67**
16.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.01	0.01	**100**
17.	**95**	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.47	**94**
		योग	**241.57**	**67.79**	**--**

पूंजीगत –दत्तमत					
1.	**2**	आवास विभाग	1,138.64	195.03	**17**
2.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2.16	1.16	**54**
3.	**4**	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.00	1.94	**28**
4.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	156.12	50.91	**33**
5.	**9**	उर्जा विभाग	4,149.00	114.64	**3**
6.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	749.81	100.86	**13**
7.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (ग्राम्य विकास)	1,463.99	191.83	**13**
8.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पंचायती राज)	593.42	24.13	**4**
9.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पशुधन)	20.50	7.88	**38**
10.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	5.84	5.84	**100**
11.	**21**	खाद्य एवं रसद विभाग	8,774.34	1811.79	**21**
12.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	392.60	188.10	**48**
13.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	874.56	488.36	**56**
14.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	15.12	11.12	**74**
15.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंान तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	**100**
16.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	541.91	29.21	**5**
17.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	491.57	147.14	**30**
18.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	1.81	0.42	**23**
19.	**37**	नगर विकास विभाग	2,292.00	261.76	**11**
20.	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	76.40	35.00	**46**
21.	**40**	नियोजन विभाग	1,407.42	659.52	**47**
22.	**42**	न्याय विभाग	260.78	78.43	**30**
23.	**44**	पर्यटन विभाग	66.69	24.65	**37**
24.	**46**	प्राशासनिक सुधार विभाग	7.50	7.50	**100**
25.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	202.95	53.48	**26**
26.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	524.81	373.36	**71**
27.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3.00	2.25	**75**
28.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी आपदा के सम्बन्ध में राहत)	10.00	4.21	**42**
29.	**53**	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	**100**
30.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	220.00	111.32	**51**
31.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	1,419.33	310.23	**22**
32.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	519.00	401.78	**77**
33.	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	150.00	74.83	**50**
34.	**63**	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	15.10	6.43	**43**
35.	**65**	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	0.04	0.02	**50**
36.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	0.14	0.14	**100**
37.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	161.82	127.86	**79**
38.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	71.50	19.28	**27**
39.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	0.10	0.10	**100**
40.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	97.58	13.82	**14**

41.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.68	31.55	**80**
42.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,872.19	415.46	**9**
43.	**87**	सैनिक कल्याण विभाग	1.03	0.27	**26**
44.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	3.48	0.96	**28**
45.	**92**	संस्कृति विभाग	33.35	30.28	**91**
46.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,317.97	734.86	**22**
		योग	**35,152.56**	**7.150.02**	**--**
		पूंजीगत – भारित			
1.	**9**	उर्जा विभाग	49.48	49.48	**100**
2.	**21**	खाद्य विभाग	1,200.04	110.04	**9**
3.	**42**	न्याय विभाग	18.08	13.56	**75**
4.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.11	**100**
5.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5.50	2.09	**38**
6.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	17,209.86	9,999.25	**58**
7.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	30.00	24.72	**82**
		योग	**18,513.07**	**10,199.25**	**--**
		महायोग	**1,41,321.07**	**26,466.65**	

परिशिष्ट 2.2

अनुदान/विनियोग, जहां प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 53)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
		राजस्व–दत्तमत			
1	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,704.95	1,811.72	**6**
2	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	10,634.41	11,089.87	**4**
		योग	**12,339.36**	**12,901.59**	**--**
		राजस्व–भारित			
1	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.05	**150**
2	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	23,462.69	23,790.98	**1**
3	**62**	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	16.52	28.15	**70**
		योग	**23,479.23**	**23,819.18**	**--**
		पूंजीगत–दत्तमत			
1	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	50.93	105.47	**107**
2	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,393.67	4,462.04	**31**
		योग	**3,444.6**	**4,567.51**	**--**
		महायोग	**39,263.19**	**41,288.28**	**--**

2.3 विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 54)

वर्ष	अनुदान / विनियोग का नाम	अनुदान / विनियोग की संख्या	आधिक्य की धनराशि (₹ करोड़ में)
2005-06	25- अनुदान 4-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 8, 12, 19, 53, 55, 57, 58, 72 पूंजीगत–दत्तमत- 15, 16, 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व–भारित- 1, 52 पूंजीगत–भारित- 52, 55	1,026.78
2006-07	18- अनुदान 6-विनियोग	राजस्व–दत्तमत - 9, 13, 55, 58, 61, 62, 73, 91, 95 पूंजीगत–दत्तमत- 3, 16, 31, 37, 55, , 57, 58, 89, 96, राजस्व–भारित- 2, 3, 10, 52, 62, 89	2,484.47
2007-08	12- अनुदान 2-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 51,55,57,58,62 पूंजीगत–दत्तमत- 13,16,55,58,63,83,96 राजस्व–भारित- 51,66	3,610.65
2008-09	5-अनुदान 1-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 62,96 पूंजीगत–दत्तमत- 55,58,96 राजस्व–भारित-52	3,399.42
2009-10	6-अनुदान 4-विनियोग	राजस्व–दत्तमत- 58 पूंजीगत–दत्तमत- 1,16, 55, 58, 59 राजस्व–भारित- 3, 10, 16, 48, 52, 66	1,250.16
2010-11	6-अनुदान 4- विनियोग	राजस्व–दत्तमत-30, 51, 91 पूंजीगत–दत्तमत-10, 55, 58 राजस्व–भारित- 10, 23, 61, 82	1,702.62
		योग	**13,474.10**

परिशिष्ट

2.4 प्रकरण, जिनमें पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं.	अनुदान/विभाग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के विरूद्ध बचत
राजस्व –दत्तमत						
1.	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	110.37	103.52	0.95	6.85
2.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	147.34	141.02	5.43	6.32
3.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,486.58	2,020.72	300.50	465.86
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	430.96	401.15	4.40	29.81
5.	**22**	खेल विभाग	42.74	42.18	2.97	0.56
6.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	107.84	89.34	2.70	18.50
7.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	381.27	364.46	1.17	16.81
8.	**37**	नगर विकास विभाग	1,112.10	490.50	3.91	621.60
9.	**40**	नियोजन विभाग	486.10	121.88	1.24	364.22
10.	**42**	न्याय विभाग	1,147.73	1,051.37	76.00	96.36
11.	**45**	पर्यावरण विभाग	5.97	3.39	0.50	2.58
12.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	348.64	316.13	2.45	32.51
13.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3,520.40	3,380.07	495.77	140.33
14.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,659.15	1,640.62	51.37	18.53
15.	**60**	वन विभाग	355.13	353.37	3.11	1.76
16.	**63**	वित्त विभाग(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	158.30	122.76	1.00	35.54
17.	**65**	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	147.37	142.69	1.00	4.68
18.	**68**	विधान सभा सचिवालय	75.94	65.95	0.51	9.99
19.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	18,881.00	18,790.40	797.40	90.60
20.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,074.17	1,369.44	41.03	704.73
21.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	96.07	68.07	7.90	28.00
22.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,412.42	1,406.81	2.94	5.61
23.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3,394.05	3,325.75	61.76	68.30
24.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	39.34	36.30	30.60	3.04
25.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,163.03	5,948.34	577.77	214.69
		योग	**44,784.01**	**41,796.23**	**2,474.38**	**2,987.78**

राजस्व–भारित						
26.	**42**	न्याय विभाग	187.94	172.21	50.00	15.73
		योग	**187.94**	**172.21**	**50.00**	**15.73**
पूंजीगत–दत्तमत						
27.	**2**	आवास विभाग	1,072.64	943.62	66.00	129.03
28.	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	154.30	105.21	1.82	49.09
29.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	687.72	648.95	62.10	38.76
30.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,313.99	1,272.16	150.00	41.83
31.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	582.19	569.29	11.23	12.90
32.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	15.03	12.62	5.47	2.41
33.	**21**	खाद्य विभाग	8,770.58	6,962.55	3.76	1,808.03
34.	**22**	खेल विभाग	38.50	38.17	0.80	0.34
35.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	390.10	204.50	2.50	185.60
36.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	604.21	386.20	270.35	218.01
37.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	13.62	3.99	1.50	9.62
38.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	31.23	29.69	1.00	1.54
39.	**40**	नियोजन विभाग	1,050.56	747.90	356.86	302.66
40.	**42**	न्याय विभाग	210.78	182.35	50.00	28.43
41.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	180.69	149.47	22.26	31.21
42.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	1,262.42	1,109.10	156.91	153.32
43.	**60**	वन विभाग	122.37	121.53	4.20	0.85
44.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	119.80	33.96	42.03	85.84
45.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,306.65	2,583.11	11.32	723.54
		योग	**19,927.38**	**16,104.37**	**1,220.11**	**3,823.01**
		महायोग	**64,899.33**	**58,072.81**	**3,744.49**	**6,826.50**

परिशिष्ट 2.5

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक को पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	पूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
राजस्व –दत्तमत							
1	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	138.48	1.94	140.42	149.66	9.24
पूंजीगत– दत्तमत							
2	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2,817.43	575.95	3,393.38	4,462.04	1,068.66
		महायोग	**2,955.91**	**577.89**	**3,533.80**	**4,611.70**	**1,077.90**

परिशिष्ट 2.6

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य	बचत
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-03	381.06	1.19	0
2.			2039-001-04	34.00	0	2.37
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-800-13	100.00	25.73	0
4.	9	उर्जा विभाग	2045-103-03	319.00	5.51	0
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	2401-001-03	200.00	0	7.52
6.			2401-001-05	360.00	0	27.72
7.			2401-103-03	154.75	0	6.89
8.			2401-109-03	347.67	0	34.61
9.			2402-101-03	319.32	2.72	0
10.			2415-120-12	140.00	0	18.75
11.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (ग्राम्य विकास)	2702-005-03	400.00	0	126.64
12.			2515-003-03	203.49	0	64.91
13.			2515-102-03	1,813.50	125.56	00
14.			2515-102-04	94.26	0	11.38
15.			2515-102-06	644.59	0	67.68
16.			2515-800-01	2,566.28	0	3.01
17.			5054-337-03	7.65	0	0.01
18.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पंचायती राज)	2515-101-09	14.64	0	0.01
19.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (पशुधन)	2403-101-01	136.11	0	2,189.06
20.			2403-800-06	150.06	0	489.94
21.			4403-101-03	19.92	0	5.51
22.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (दुग्धशाला विकास)	2404-102-01	108.02	0	235.34
23.	21	खाद्य तथा रसद विभाग	4408-001-03	1,216.61	29.70	0
24.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-001-03	2.00	1.93	0
25.			2056-101-03	81.02	0	9.32
26.			4059-051-03	2,067.09	0	44.67
27.			4074-800-14	41.17	0	0.01
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-003-04	107.80	0	1,481.88

29.			2055-101-04	39.20	0	251.34
30.			2055-109-03	2,716.87	0	1,950.61
31.			2055-800-07	0.85	0	27.41
32.			2070-108-03	1,287.99	0	266.03
33.			2070-800-04	29.31	0	30.80
34.			2055-104-03	9,306.52	0	761.61
35.			2055-108-03	134.30	0	50.31
36.			2055-109-04	2,810.17	296.56	0
37.			2055-109-05	1,763.98	0	585.05
38.			2055-109-07	879.00	0	317.18
39.			2055-111-03	629.10	3.26	0
40.			2055-113-04	148.81	0	43.38
41.			2055-115-03	202.05	0	179.32
42.			2055-116-03	5.40	46.77	0
43.			2235-200-03	252.80	275.97	0
44.			2235-200-10	100.00	79.04	0
45.			2235-800-04	10.00	0	1.73
46.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-107-06	1,817.02	0	42.24
47.			2070-107-07	1,438.92	0	28.90
48.			2070-800-03	17.54	0	0.07
49.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2251-092-03	0.50	0	13.69
50.			2251-200-04	16.65	0	0.12
51.			3055-190-03	30.33	0	0.07
52.	**29**	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालयनागरिक)	2012-090-03	15.54	0	4.20
53.			2012-800-03	6.74	6.27	0
54.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2210-110-04	1,206.81	0	8,083.51
55.			2210-800-03	.58	0	455.44
56.			2211-200-04	1,750.02	0	965.33
57.	**37**	नगर विकास विभाग	2053-094-04	38.50	0	18.41
58.			2215-800-01	1,061.67	0	0.01
59.			2215-800-01	343.00	0	239.01
60.			2030-101-01	6,121.65	0	2.58
61.			4215-106-01	1,639.71	1,926.85	0
62.			4215-191-03	3,000.00	1,577.15	0
63.	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-13	133.35	0	133.35
64.	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	860.29	8.99	0
65.			2015-105-03	73.74	0	8.52

66.	42	न्याय विभाग	2014-114-03	44.13	.28	0
67.			2014-800-06	170.45	0	67.91
68.			2014-800-12	2,490.00	373.48	0
69.			2071-800-03	100.00	0	25.48
70.			2235-200-04	81.17	2.41	0
71.			2014-102-03	412.33	90.19	0
72.			4059-051-04	162.14	0	24.02
73.	45	पर्यावरण विभाग	3435-001-03	9.61	0	16.75
74.	46	प्राशासनिक विभाग	2052-091-03	14.72	0.08	0
75.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-19	39.45	0	39.46
76.			2203-104-24	35.29	0	0.03
77.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-800-01	2,052.92	0	303.22
78.			2225-800-03	2,500.00	0	36.11
79.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-08	2.50	19.39	0
80.	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2052-090-03	24.00	0	11.61
81.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-800-05	1,322.53	0	2,954.17
82.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-001-04	2656	7,061.59	0
83.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-23	152.81	0	51.82
84.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	5054-101-97	232.31	0	232.31
85.			5054-101-36	1,678.00	1,102.04	0
86.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-337-64	4,000.00	0	3,122.36
87.			5054-337-77	1,400.00	7.58	0
88.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	80.00	0	22.71
89.			2059-053-04	30.37	0	0.08
90.			2052-090-03	318.17	0	16.10
91.			2059-053-03	79.10	0	0.30
92.			4059-051-04	177.23	0	7.12
93.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2049-123-04	8,171.14	0	0.03
94.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-097-04	9.00	0	0.01
95.	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	2054-098-03	163.00	0	9.16
96.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-001-04	2,137.34	0	493.94
97.			2202-102-15	1,614.00	0	455.30
98.			2202-104-03	500.00	190.69	0

99.			2202-800-03	3.65	130.36	0
100.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-001-03	4.58	342.62	0
101.			2202-001-04	379.97	9.33	0
102.			2202-800-20	1,524.68	30,982.55	0
103.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-103-03	400.00	0	4.59
104.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-08	12.00	0	0.26
105.			2202-003-15	49.99	0	0.60
106.			2202-800-01	21.50	0	3.17
107.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-102-05	21.91	0	8.33
108.			2230-800-04	29.11	5.36	0
109.	**77**	श्रम विभाग (सेवायोजन)	2230-001-03	0.28	7.14	0
110.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2251-090-03	25.00	0	1,241.34
111.			2013-104-03	87.00	0	11.73
112.			2052-090-04	8.00	0	3.48
113.			2220-800-03	30.00	0	0.06
114.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-101-06	102.39	0	29.02
115.			2235-101-14	209.71	0	89.03
116.			4235-101-19	2,000.00	0	60.30
117.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-001-03	10.00	11.33	
118.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2217-789-01	1,061.72	0	5.00
119.			2225-789-01	640.00	32,584.65	0
120.			4210-789-04	99.90	0	78.47
121.			5054-789-05	77,477.18	0	288.40
122.	**86**	सूचना विभाग	2220-101-05	2.23	0	5,618.13
123.			2220-102-03	6.83	14.04	0
124.			2220-106-03	16.02	23.91	0
125.			2220-110-03	600.00	0	0.01
126.	**89**	संस्थागत वित्त विभाग(वाणिज्य कर)	2040-800-06	14.61	0	10.41
127.	**90**	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)	2045-101-03	112.65	5.92	0
128.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-04	289.50	0	274.50
129.			2030-001-03	16.10	302.99	0
130.	**92**	संस्कृति विभाग	2205-104-01	10.00	0	12.15
131.			2205-103-03	21.00	0	10.71
132.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-051-10	296.11	0	7,869.96
133.			4700-09-050-10	300.15	0	591.24

134.			4711-103-03	25.00	0	627.12
135.			4700-051-12	1,933.84	0	901.26
136.			4700-051-11	100.00	0	0.02
137.			4700-050-15-10	299.53	0	116.36
138.			4700-051-11	460.92	0	308.87
139.			4700-051-10	637.13	0	152.90
140.			4701-051-12	156.93	4.47	0
141.			4701-050-10	90.53	0	0.45
142.			4701-051-10	897.25	0	0.99
143.			4701-051-10	2,365.33	0	0.08
144.			4701-051-10	183.00	0	0.04
145.			4701-050-10	705.47	0	411.69
146.			4711103-06	397.00	0	253.20
147.			4711103-09	574.74	0	380.35
148.	**95**	सिंचाई विभाग (स्थापना)	2701-001-05	575.87	503.35	0
			योग	**1,80,064.19**	**78,188.95**	**46,541.67**

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2011-12 में अत्याधिक धनराशियों का समर्पण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-04 जिला कार्यकारिणी की स्थापना	20.00	19.61	98
2.			4059-051-03 आबकारी विभाग में कार्यालय और गोदाम के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	140.50	81.9	58
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2853-004-06 खनिज विकास योजनाएँ	100.00	85.73	86
4.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-04 (अन्य व्यय)निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे योजना	1,500.00	1,500	100
5.			2852-800-04 (अन्य व्यय)न्यायिक मसलों का परिचालन	40.00	27.86	70
6.			2852-800-06 (अन्य व्यय)पी.पी.पी. परियोजना आदि में निवेश एवं निजीकरण	700.00	350	50
7.			2852-800-10 भारी औद्योगिक निवेश नीति आदि के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन	18,000.00	18,000	100
8.			6860-190-07 विभिन्न विविध व्ययों हेतु आई.टी.आर.कम्पनी, बरेली को ऋण	9.00	4.99	55
9.			6885-190-04 प्रांतीय औद्योगिक निवेश आदि को ऋण	100.00	85.53	86
10.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-103-01 बीज हेतु केन्द्रीय योजना	1,643.19	877.79	53
11.			2401-103-04 प्रमाणित बीज हेतु अनुदान	6,600.84	3,441.33	52
12.			2401-103-05 संकर बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना	3,000.00	2,790.96	93
13.			2401-110-01 फसल बीमा हेतु केन्द्रीय योजना	582.16	401.48	69
14.			2401-110-01 भारतीय कृषीय बीमा कम्पनी लि0 को फसल बीमा के किस्तों का भुगतान	5,012.83	3,102.51	62
15.			2401-111- फसल उत्पादन आदि पर कृषीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय ऑकड़े बैंक	518.06	289.97	56
16.			2401-113-01 कृषीय अभियांत्रिकी पर केन्द्रीय योजनाएँ	18.60	17.04	92
17.			2401-800-01 अन्य व्यय– केन्द्रीय योजनाएँ	118.44	118.44	100
18.			2401-800-03 अन्य व्यय– राष्ट्रीय कृषि विकास	47,900.93	26,222.67	55
19.			2402-102-03 बुंदेलखंड में सिंचाई एवं वर्षा जल संचय योजना	6,173.66	5,415.27	88

20.			2402-102-05 मृदा उर्वरता को बढ़ाना	6,744.00	5,669.17	84
21.			2402-103-06 मृदा के सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि समुन्नति हेतु जिप्सम का वितरण	1,748.00	1,217.09	70
22.			2415-120-23 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम	300.00	300	100
23.			2415-120-24 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि विस्तार	200.00	200	100
24.			2415-120-25 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाएँ	800.00	621	78
25.			2415-120-26 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाएँ	170.69	170.69	100
26.			2402-101-05 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशाला का सशक्तिकरण	575.00	395	69
27.			4401-103-01 केन्द्रीय योजना–कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	1,025.00	1,025	100
28.			4401-105-04 राष्ट्रीय योजना – मृदा की गुणवत्ता एवं उर्वरता के प्रबंधन हेतु कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	243.25	243.25	100
29.			4401-107-04 कीट आदि नियंत्रण–कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	500.00	490.92	98
30.			4401-190- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कृषि अर्थव्यवस्था पर पूँजीगत परिव्यय	1,000.00	894.34	89
31.			4415-277-16 कृषि विद्यालय, फैजाबाद में वी0आई0पी0 अतिथि गृह का निर्माण	218.96	218.96	100
32.			4415-277-28 कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय फैजाबाद	3,866.23	2,861.48	74
33.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-04 प्रादेशिक रक्षक दल	95.00	58.9	62
34.			2204-104-03 ग्रामीण खेल एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता संगठन (जिला योजना)	56.00	28	50
35.			2204-800-03 राष्ट्रीय निर्माण एवं सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं की सहभागिता	54.00	27.93	52
36.			2204-800-04 लोक जागरूकता कार्यक्रम	16.00	8	50
37.			4070-800-03 ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण	18.00	18	100
38.	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-109-01 केन्द्रीय योजनाएँ	680.00	680	100
39.			2401-001-03 गन्ना आयुक्त की स्थापना	1.50	0.76	51
40.	**24**	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-201-05 चीनी विशेष निधि यू0पी0 आदि, को भुगतान	360.00	188.98	52
41.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	4210-800-06 यूनानी महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय	61.00	61	100
42.	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-03 हेलीकाप्टर/वायुयान की खरीद	3,500.00	3,500	100
43.	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-103-04 विधान परिषद	5.50	5.38	98
44.			2015-105-04 उप चुनाव	130.81	127.67	98

45.			2015-106-07 विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति का आकास्मिक बीमा	50.00	28.5	57
46.			2015-106-09 उप चुनाव/विधान सभा में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति का आकास्मिक बीमा	10.00	5	50
47.	**42**	न्याय विभाग	2014-105-01 केन्द्रीय योजनाएँ	500.02	500.02	100
48.			2014-105-1013वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	8,638.00	7,568.32	88
49.			2235-200-1013वींवित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	844.74	697.98	83
50.			2014-102-04 13वींवित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	31.00	26.54	86
51.			2014-800-12 अवशेषों का भुगतान	1,636.91	1,097.39	67
52.			4059-051-04 उच्च न्यायालय में निर्माण कार्य	1,807.85	1,379.51	76
53.	**46**	प्राशासनिक सुधार विभाग	4059-051-01 केन्द्रीय योजनाएँ	750.00	750	100
54.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2053-093-03 कलेक्टरी की स्थापना	15.00	10.78	72
55.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2049-101-03 प्रतिपूर्ति बंधपत्र एवं स्टॉक प्रमाण पर व्याज	0.10	0.1	100
56.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2235-200-03 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता	100.00	58.87	59
57.			4070-800-03 सर्वेक्षण सम्भाव्यता प्रतिवेदन, डी0पी0आर0 आदि पर व्यय	5,000.00	5,000	100
58.			6003-110-03 अर्थोपाय अग्रिम का पुर्नभुगतान	10,00,000.00	9,99,841.21	100
59.	**63**	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-800-04 मिशन प्रणाली योजना	100.00	100	100
60.			4059-051-03 राज्य के विभिन्न राजकोषों में विविध निर्माण एवं नवीयन कार्य	1,146.43	591.76	52
61.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-107-11 माध्यमिक स्तर तक के ग्रामीणों क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	24.00	18.9	79
62.			2202-107-13 उच्च विद्यालय और इण्टर विद्यालय में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्वि	40.00	30.28	76
63.			2202-107-18 राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कक्षा 6 से 8 तक, 15% प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए अर्हता छात्रवृत्ति	45.00	45	100
64.			2202-110-05 सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए शैक्षिक परिभ्रमण	5.00	5	100
65.			2202-110-08 अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	50	100
66.			2204-102-05 माध्यमिक विद्यालयों(जिला योजना) में स्काउट योजना का विस्तार	11.00	6.22	57
67.			4202-202-16 वर्तमान जिला राजकीय पुस्तकालय	10.50	10.5	100

68.			2202-102-42 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को उपलब्ध हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान	25.00	25	100
69.			2202-104-06 राज्य में सहायता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय में संगोष्ठी और परिसंवाद	16.50	9.5	58
70.			2202-800-05 अवशेषों का भुगतान	80,066.20	74,319.41	93
71.			2202-800-08 बाह्य सभा एवं संगोष्ठी में सहभागी शिक्षको हेतु अनुदान	5.00	5	100
72.			2204-102-03 विद्यार्थी कल्याण निधि द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों हेतु अनुदान	20.00	20	100
73.			2202-102-01 केन्दीय योजनाएँ	0.02	0.02	100
74.			2202-102-03 इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.01	0.01	100
75.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-203-04 नये शासकीय डिग्री महाविद्यालय की स्थापना	500.00	370	74
76.			4202-203-06 क्षेत्रीया उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु भूमि की खरीद/भवन निर्माण	100.00	100	100
77.			4202-203-16 राजकीय विश्वविद्यालय में वर्तमान निर्माण कार्य एवं अन्य विकास हेतु अनुदान	500.00	500	100
78.			4202-203-19 राजकीय विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार	800.00	443.91	55
79.			4202-203-23 शासकीय स्नातक/परा स्नातक डिग्री महाविद्यालय में आनलाइन शिक्षा का संचालन	500.00	500	100
80.			4202-203-24 पंचशील डिग्री महाविद्यालय	100.00	100	100
81.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-201-01 केन्द्रीय योजनाएँ	10.03	10.03	100
82.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-111-03 यू0पी0भवन और कारीगर कल्याण निधि से सम्बन्धित निर्माण में व्यय	17,700.00	17,700	100
83.			2230-797-03 आरक्षित निधि एवं जमा खाता–यू0पी0भवन तथा कारीगर कल्याण निधि से सम्बद्ध अन्य निर्माण में या से हस्तान्तरण	17,700.00	17,700	100
84.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2075-104-03 विशेष सम्मान	5.00	5	100
85.			2215-796-03अनुसूचित जनजाति हेतु जलापूर्ति कार्यक्रम	275.00	206.25	75
86.			2225-796-01 केन्द्रीय योजनाएँ	921.90	817.81	89
87.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2225-796-07 राज्य मे रह रहे जनजाति जो वर्तमान में अनुसूचित जाति में समावेशित है, को सहायक अनुदान	20.00	14.35	72
88.			2225-796-08 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास	22.95	12.12	53
89.			2225-796-10 पुस्तक बैंक योजना के अधीन मुक्त पाठ्यक्रम पुस्तक के लिए अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु अनुदान	10.00	7.24	72

90.			2225-796-12 अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए वर्दी एवं साइकिल हेतु अनुदान	50.00	29.03	58
91.			2230-796-03 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्षेत्र में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	41.13	41.13	100
92.			2235-796-04 समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत अनुपोषित कार्यक्रम (केन्द्र 50% राज्य 50%) में राज्य सरकार द्वारा दिया गया पोषण	10.00	7.54	75
93.			2235-796-03 मुख्य मंत्री ''महामाया गरीब आर्थिक मदद'' योजना, उ0प्र0	2,410.01	1,325.91	55
94.			2215-796-01 केन्द्रीय योजनाएँ	22.50	12.55	56
95.			4225-796-01 केन्द्रीय योजनाएँ	3,745.06	3,145.06	84
96.			2070-789-03 प्रांतीय रक्षक दल का सशक्तिकरण	200.00	126.2	63
97.			2210-02-789-03 शासकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय	97.48	97.48	100
98.			2210-04-789-03 शासकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय	294.20	294.2	100
99.			2225-01-789-07 अनुसूचितजातियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान	30.00	30	100
100.			2225-01-789-09 शासकीय छात्रावासों/आश्रमनूमा शासकीय विद्यालयों का अनुरक्षण	500.00	334.28	67
101.			2225-01-789-11 कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अनावर्तन सहायता छात्रवृत्ति	400.00	400	100
102.			2225-01-789-13 विभिन्न वर्गो के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण और कम्प्यूटरीकरण	250.00	128.38	51
103.		समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2225-80-789-03 कोल जाति हेतु विशेष उत्थान कार्यक्रम	679.50	679.5	100
104.	**83**		2230-02-789-03 अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों हेतु शैक्षिक एवं मार्गदर्शन केन्द्र	146.25	108.26	74
105.			2230-03-789-03 आई0टी0आई0 अलीगंज, लखनऊ में प्रांतीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र	96.55	93.76	97
106.			2230-03-789-05 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्प–कालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	86.87	69.24	80
107.			2401-789-07 औद्यानिक विकास कार्यक्रम	300.00	150.43	50
108.			2506-789-01 केन्द्रीय योजनाएँ	10.00	8.79	88
109.			2515-789-01 केन्द्रीय योजनाएँ	4,977.50	3,289.02	66
110.			4202-01-789-03 अम्बेडकर ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालयों का सशक्तिकरण	8,788.00	5,276.19	60
111.			4202-02-789- अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपदों में शासकीय पॉलिटक्नीक की स्थापना	254.26	254.26	100
112.			4202-03-789-03 अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण	200.00	200	100

113.			4210-03-789-04 शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज	245.01	245.01	100
114.			4210-03-789-05 शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, ओरई,जालौन	245.01	245.01	100
115.			4210-03-789-06 परा चिकित्सा महाविद्यालय, झांसी	6,500.01	6,500.01	100
116.			4210-03-789-07 शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, सहारनपुर	5,000.01	5,000.01	100
117.			4225-01-789-03 अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लि0,उत्तर प्रदेश में पूँजी निवेश	3,181.38	3,116.38	98
118.			4225-01-789-05 शासकीय आश्रमनूमा विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण	400.00	400	100
119.			4225-01-789-08 स्वैच्छिक संस्थानों /विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों/ अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु छात्रावास	100.00	100	100
120.			4225-01-789-09 अनुशिक्षण केन्द्र हेतु भवन का निर्माण	200.00	200	100
121.			4225-01-789-10 अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए समेकित विकास योजना	750.00	499.74	67
122.			4225-80-789-03 कोल जाति हेतु विशेष उत्थान कार्यक्रम	355.00	355	100
123.			4702-789-03 चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित)	0.01	0.01	100
124.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद	11.53	6.88	60
125.			3475-800-04 लोक उद्यम विभाग(लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ)	14.18	7.64	54
126.	**86**	सूचना विभाग	2220-60-103-03 प्रेस सूचना सेवा कार्यक्रम	53.04	33.2	63
127.			2220-60-800-07 फिल्म विकास निधि की स्थापना	50.00	50	100
128.			2220-60-800-08 सम्माननीय कांशीराम स्मरण समारोह	400.00	283.25	71
129.	**89**	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-05 व्यवस्थापन आयोग की स्थापना	55.85	45.29	81
130.			2040-800-03 वाणिज्यिक–कर आयुक्त की स्थापना	10.00	6.84	68
131.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2030-02-001-03 स्थापना	78.17	47.3	61
132.	**92**	संस्कृति विभाग	2205-800-11 कला और संस्कृति शिक्षा, लोक परम्परा की दृश्याभिलेखबद्ध करने,योग्य विद्यार्थियों एवं वृद्ध कलाकारों हेतु आर्थिक सहायता योजना	20.00	20	100
			योग	**12,95,918.82**	**12,45,794.91**	

परिशिष्ट 2.8

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान	बचत/ आधिक्य(–)	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
		राजस्व –दत्तमत				
1	**41**	निर्वाचन विभाग	104.65	2.57	8.16	**5.59**
2	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,115.20	745.76	751.18	**5.42**
3	**91**	संस्थागत वित्त विभाग* (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	140.42	(-) 9.24	3.96	**13.19**
		कुल योग	**2,360.27**	**739.09**	**763.30**	**24.20**
		राजस्व –भारित				
4	**42**	न्याय विभाग	237.94	65.73	66.54	**0.81**
5	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)*	23,462.69	(-) 328.29	106.43	**434.72**
		कुल योग	**23,700.63**	**(-)262.56**	**172.97**	**435.53**
		पूंजीगत –दत्तमत				
6	**1**	आबकारी विभाग*	1.41	(-) 0.47	0.82	**1.29**
7	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	749.81	100.86	103.94	**3.08**
		कुल योग	**751.22**	**100.39**	**104.76**	**4.37**
		महायोग	**26,812.12**	**576.92**	**1,041.03**	**464.10**

* इन अनुदानों/विनियोगों में अधिक व्यय के बाद भी धनराशि अभ्यर्पित की गई।

परिशिष्ट 2.9

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 55)

I – अनुदान				
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
1.	**2**	आवास विकास	56.16	195.03
2.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	11.75	0.00
3.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.00	191.83
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	34.21	7.88
5.	**16**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.76	0.00
6.	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	11.10	0.00
7.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	3.49	5.84
8.	**22**	खेल विभाग	3.54	1.14
9.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	0.11	188.10
10.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	54.74	488.36
11.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.73	11.12
12.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	21.19	0.30
13.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	10.91	29.21
14.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	145.70	147.14
15.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	3.32	0.42
16.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	52.59	0.00
17.	**37**	नगर विकास विभाग	625.51	0.00
18.	**39**	भाषा विभाग	0.62	0.00
19.	**44**	पर्यटन विभाग	4.77	24.65
20.	**45**	पर्यावरण विभाग	3.08	0.00
21.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	34.95	53.48
22.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	13.69	373.36
23.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विकास	0.00	2.25
24.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.00	4.21
25.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	397.38	9.33
26.	**52**	राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.00	1.72
27.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	0.00
28.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	111.32
29.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	0.00	310.24
30.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	0.00	2.98
31.	**60**	वन विभाग	4.87	5.05
32.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	3.68	0.00
33.	**68**	विधान सभा सचिवालय	10.49	0.12
34.	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.77	0·00
35.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	0.00	0.52

36.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	8.55	13.82
37.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	130.06	0.23
38.	**88**	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	0.30	0.00
39.	**92**	संस्कृति विभाग	4.01	30.28
40.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	504.35	734.86
41.	**95**	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	18.03	0.00
		योग	**2,421.95**	**3,679.65**
		II – विनियोग		
42.	**9**	उर्जा विभाग	1.19	0.00
43.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	0.01	0.00
44.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.03	0.00
45.	**20**	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	0.02	0.00
46.	**21**	खाद्य विभाग	0.00	110.04
47.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.00
48.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	0.40	0.00
49.	**29**	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	0.09	0.00
50.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	0.09	0.00
51.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.01	0.00
52.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	0.00
53.	**52**	राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.07	0.11
54.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.03	0.00
55.	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	0.21	0.14
56.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)	0.05	2.09
57.	**60**	वन विभाग	0.10	0.00
58.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	0.26	0.00
59.	**68**	विधान सभा सचिवालय	0.27	0.00
60.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	0.00	24.72
61.	**95**	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.47	0.00
		योग	**3.41**	**137.10**
		महायोग	**2,425.36**	**3,816.75**
		राजस्व और पूँजी का योग	**6,242.11**	

परिशिष्ट 2.10

अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना था
		राजस्व –दत्तमत			
1.	**2**	आवास विभाग	56.16	0.00	56.16
2.	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	11.75	0.00	11.75
3.	**11**	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	766.37	759.93	6.44
4.	**12**	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	234.47	191.00	43.47
5.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	134.31	24.26	110.06
6.	**14**	कृषि तथा अन्स सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	211.63	27.04	184.59
7.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	34.21	0.00	34.21
8.	**16**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1.76	0.00	1.76
9.	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	11.10	0.00	11.10
10.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	3.49	0.00	3.49
11.	**22**	खेल विभाग	3.54	0.00	3.54
12.	**23**	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	36.76	34.97	1.79
13.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	54.74	0.00	54.74
14.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	6.73	0.00	6.73
15.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	21.19	0.00	21.19
16.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	10.91	0.00	10.91
17.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	145.70	0.00	145.70
18.	**34**	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	3.32	0.00	3.32
19.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	34.80	22.89	11.91
20.	**36**	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	52.59	0.00	52.59
21.	**37**	नगर विकास विभाग	625.51	0.00	625.51
22.	**40**	नियोजन विभाग	365.46	3.40	362.06
23.	**42**	न्याय विभाग	172.36	165.10	7.27
24.	**44**	पर्यटन विभाग	4.77	0.00	4.77
25.	**45**	पर्यावरण विभाग	3.08	0.00	3.08
26.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	34.95	0.00	34.95
27.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	13.69	0.00	13.69
28.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विकास	636.11	547.18	88.93
29.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	32.62	29.45	3.17
30.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	397.38	0.00	397.38
31.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	69.90	0.17	69.73
32.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	0.00	238.54
33.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	1.10	0.01	1.09
34.	**60**	वन विभाग	4.87	0.00	4.87
35.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	59.73	38.71	21.02

36.	**65**	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	5.69	4.28	1.40
37.	**67**	विधान परिषद सचिवालय	3.68	0.00	3.68
38.	**68**	विधान सभा सचिवालय	10.49	0.00	10.49
39.	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.77	0.00	1.77
40.	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	888.00	717.85	170.15
41.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	582.87	439.68	143.19
42.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	77.54	14.88	62.66
43.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	8.55	0.00	8.55
44.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	130.06	0.00	130.06
45.	**81**	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	33.64	25.77	7.87
46.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	792.46	776.28	16.18
47.	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	46.26	44.46	1.80
48.	**86**	सूचना विभाग	61.14	5.32	55.82
49.	**92**	संस्कृति विभाग	4.11	0.00	4.11
50.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	504.35	0.00	504.35
51.	**95**	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	18.03	0.00	18.03
		योग	**7,664.24**	**3,872.63**	**3,791.62**
		पूंजीगत –दत्तमत			
1.	**2**	आवास विभाग	195.03	0.00	195.03
2.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	191.83	0.00	191.83
3.	**14**	कृषि तथा अन्स सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	24.13	0.18	23.95
4.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	7.88	0.00	7.88
5.	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	5.84	0.00	5.84
6.	**21**	खाद्य एवं रसद विभाग	1811.78	8.38	1803.40
7.	**22**	खेल विभाग	1.14	0.00	1.14
8.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	188.10	0.00	188.10
9.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	488.36	0.00	488.36
10.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	11.12	0.00	11.12
11.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	29.21	0.00	29.21
12.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	147.14	0.00	147.14
13.	**37**	नगर विकास विभाग	261.77	2.79	258.97
14.	**40**	नियोजन विभाग	659.52	10.00	649.52
15.	**44**	पर्यटन विभाग	24.65	0.00	24.65
16.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	53.48	0.00	53.48
17.	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	373.36	0.00	373.36
18.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विकास	2.25	0.00	2.25
19.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	4.21	0.00	4.21
20.	**51**	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	9.33	0.00	9.33
21.	**52**	राजस्व विभाग(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1.72	0.00	1.72
22.	**56**	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	111.32	0.00	111.32
23.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	310.24	0.00	310.24
24.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2.98	0.00	2.98
25.	**60**	वन विभाग	5.05	0.00	5.05

26.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	401.78	57.75	344.03
27.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	127.86	0.14	127.72
28.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	13.82	0.00	13.82
29.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	415.46	363.35	52.10
30.	**92**	संस्कृति विभाग	30.28	0.00	30.28
31.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	734.86	0.00	734.86
		योग	**6,645.5**	**442.59**	**6,202.89**
		राजस्व –भारित			
32.	9	उर्जा विभाग	1.19	0.00	1.19
		योग	**1.19**	**0.00**	**1.19**
		पूंजीगत – भारित			
33.	**21**	खाद्य विभाग	110.04	0.00	110.04
34.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2.09	0.00	2.09
35.	**94**	सिचाई विभाग (निर्माण)	24.72	0.00	24.72
		योग	**136.85**	**0.0**	**136.85**
		महायोग	**14,447.78**	**4,315.22**	**10,132.55**

परिशिष्ट

2.11 वेतन एवं भत्तों के लिए अपरिशुद्ध बजट अनुमान

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.5.3; पृष्ठ 60)

(₹करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की अवधि में बजट प्रावधान	व्यय	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित बचत (कोष्ठक में प्रतिशत)
माध्यमिक शिक्षा विभाग			
2007-08	2,671.85	2,628.91	42.94 (2)
2008-09	3,208.43	3,114.10	94.33 (3)
2009-10	4,037.08	3,842.96	194.12 (5)
2010-11	5,924.19	5,129.24	794.96 (13)
2011-12	5,842.33	5,376.87	465.47 (8)
योग	**21,683.88**	**20,092.08**	**1,591.82 (7)**
नगर विकास विभाग			
2007-08	1.66	1.50	0.16 (10)
2008-09	1.72	1.52	0.20 (12)
2009-10	2.19	1.84	0.36 (16)
2010-11	2.17	2.05	0.12 (6)
2011-12	2.47	2.25	0.22 (9)
योग	**10.21**	**9.16**	**1.06 (10)**
जनजातीय कल्याण विभाग			
2007-08	4.27	1.61	2.88 (68)
2008-09	4.82	1.66	3.12 (65)
2009-10	5.64	2.36	3.16 (56)
2010-11	6.59	3.20	1.95 (30)
2011-12	4.12	2.95	0.57 (14)
योग	**25.44**	**11.78**	**11.89 (47)**
गृह (पुलिस) विभाग			
2007-08	2,927.56	2,923.16	4.40 (1)
2008-09	3,683.74	3,602.25	80.38 (2)
2009-10	5,258.80	5,226.41	32.38 (1)
2010-11	6,021.37	5,980.86	40.51 (1)
2011-12	6,605.27	6,563.39	29.95 (1)
योग	**24,496.74**	**24,296.07**	**187.62 (0.76)**
सिंचाई विभाग			
2007-08	1,044.14	1,001.16	42.49 (4)
2008-09	1,196.56	1,187.09	47.46 (4)
2009-10	1,779.27	1,455.53	73.81 (4)
2010-11	1,636.88	1,599.97	0.81 (-)
2011-12	1,896.96	1,896.96	-
योग	**7,553.81**	**7,140.71**	**164.57 (0.01)**
महायोग	**53,770.08**	**51,549.80**	**1,956.96 (3.64)**

स्रोत: विभागीय आकड़े

2.12 वेतन के अतिरिक्त अपरिशुद्ध बजट प्राक्कलन

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.5.4; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की अवधि में बजट प्रावधान	वर्ष की अवधि में व्यय	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित बचत (कोष्ठक में प्रतिशत)
माध्यमिक शिक्षा विभाग			
2007-08	207.06	173.90	33.16 (12)
2008-09	495.85	275.81	220.05 (44)
2009-10	859.93	779.38	80.54 (9)
2010-11	741.44	735.76	18.06 (2)
2011-12	1,352.09	1,201.79	150.30 (11)
योग	**3,656.37**	**3,166.64**	**502.11 (14)**
नगर विकास विभाग			
2007-08	257.22	243.18	14.04 (5)
2008-09	200.00	188.80	11.20 (6)
2009-10	1,103.00	706.45	396.55 (36)
2010-11	1,456.84	895.45	519.43 (36)
2011-12	1,668.69	1,557.35	111.34 (7)
योग	**4,685.75**	**3,591.23**	**1,052.56 (22)**
जनजातीय कल्याण विभाग			
2007-08	26.41	13.91	12.28 (46)
2008-09	26.77	16.20	10.62 (40)
2009-10	27.60	15.35	12.37 (45)
2010-11	23.90	13.26	12.08 (51)
2011-12	24.18	14.02	10.77 (43)
योग	**128.86**	**72.74**	**58.12 (45)**
गृह विभाग (पुलिस)			
2007-08	631.59	583.01	48.58 (8)
2008-09	719.52	625.65	90.97 (13)
2009-10	998.35	804.77	193.57 (19)
2010-11	1,422.60	1,015.66	406.94 (29)
2011-12	1,851.66	1,333.81	529.78 (29)
योग	**5,623.72**	**4,362.90**	**1,269.84 (23)**
सिंचाई विभाग			
2007-08	2,107.24	2,051.17	56.07 (3)
2008-09	2,423.17	2,388.21	34.96 (2)
2009-10	2,657.79	2,005.09	652.70 (25)
2010-11	4,202.57	2,465.95	1,736.62 (41)
2011-12	3,339.05	2,050.52	1,288.53 (39)
योग	**14,729.82**	**10,960.94**	**3,768.87 (26)**
महायोग	**28,824.52**	**22,154.45**	**6,651.50 (23)**

परिशिष्ट

2.13 राजस्व प्राप्तियों का अपरिशुद्ध अनुमान

(संदर्भः प्रस्तर 2.5.5; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति	आधिक्य (+)/कमी का अनुमान (कोष्ठक में आधिक्य कमी का प्रतिशत)
माध्यमिक शिक्षा विभाग			
2007-08	52.34	54.99	(+) 2.65 (5)
2008-09	55.54	58.44	(+) 2.90 (5)
2009-10	64.12	61.97	(-) 2.15 (3)
2010-11	63.11	68.51	(+) 5.40 (9)
2011-12	64.57	81.84	(+) 17.27 (27)
योग	**299.68**	**325.75**	**निवल (+) 26.07 (9)**
गृह विभाग (पुलिस)			
2007-08	367.15	147.17	(-) 219.98 (60)
2008-09	261.07	160.59	(-) 100.48 (39)
2009-10	246.11	118.43	(-) 127.68 (52)
2010-11	246.84	177.53	(-) 69.31 (28)
2011-12	308.22	196.41	(-) 111.01 (36)
योग	**1,429.39**	**800.13**	**निवल (-) 628.46 (44)**
सिंचाई विभाग			
2007-08	216.14	351.59	(+) 135.45 (62)
2008-09	229.10	285.33	(+) 56.23 (25)
2009-10	166.81	261.75	(+) 94.94 (57)
2010-11	580.18	186.44	(-) 393.74 (68)
2011-12	616.25	197.92	(-) 418.33 (68)
योग	**1,808.48**	**1,283.03**	**निवल (-) 525.45 (29)**
महायोग	**3,537.55**	**2,408.91**	**निवल (-) 1,127.84 (32)**

स्रोतः विभागीय आकड़े

परिशिष्ट

2.14 व्यय का निष्कर्ष

(संदर्भः प्रस्तर 2.6.3; पृष्ठ 62)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई	यू0आई0जी0		यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0	
			लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
जल आपूर्ति						
1	जल कार्य	सं0	7	शून्य	-	-
2	नलकूप(नए)	सं0.	245	182(74 प्रतिशत)	401	295 (74)
3	नलकूप(पुनवेधन)	सं0	102	98 (96 प्रतिशत)	29	20 (69)
4	आरोही/फीडर मुख्य	कि0मी0	413.98	73.66 (18 प्रतिशत)	224.71	132.49 (59)
5	सी0डब्लू0आर0	सं0.	175	19 (11 प्रतिशत)	46	20 (43)
6	ओ0एच0टी0	सं0	190	50 (26 प्रतिशत)	158	74 (47)
7	वितरण प्रणाली	कि0मी0	5,121.22	972.97(19 प्रतिशत)	3,266.01	2,149.02 (66)
8	अन्तरग्रही कूप	सं0			1	1 (100)
9	जल शोधन संयंत्र	सं0			1	1 (100)
10	पम्पिंग संयंत्र	सं0			466	240 (51)
मलजल निकास तंत्र						
1	मलजल शोधनसंयंत्र	सं0	10	एक(10 प्रतिशत)	6	1 (17)
2	मलजल दमकल केन्द्र	सं0	26	1(4)	9	1 (11)
3	मुख्य मोरी/शाखा मोरी	कि0मी0	2269.25	164.10 (7)	449.85	- (0)
4	आरोही मुख्य (मोरी)	कि0मी0	-	-	17.85	- (0)
अपवहन						
1	अपवाहिका नए	कि0मी0	-	-	13.95	- (0)
2	अपवाहिका पुनप्रतिरूपित	कि0मी0	-	-	7.41	- (0)
3	अपवाहिका	कि0मी0	-	-	4.41	- (0)
विप्लव जल अपवहन						
1	अपवाहिका (नए एवं पुनरोद्धारित)	कि0मी0	401.80	165.97 (41)	-	-
2	अपवाहिका (जीर्णोद्धार)	कि0मी0	30.08	-	-	-
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन						
1	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (परियोजना)	नगर	7	- (0)	19	- (0)

परिशिष्ट 2.15

ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में मुख्य संकेतक का स्थान

(संदर्भः प्रस्तर 2.6.4; पृष्ठ 63)

नामांकन					
मद	10वीं योजना के अन्त में स्तर	10वीं योजना के दौरान प्रगति	11वीं योजना के अन्त में स्तर	ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रगति	टिप्पणी
कक्षा 9–10	57.96 लाख	24.46 लाख	68.97 लाख	11.01 लाख	11वीं योजना की अवधि में विद्यालयों में नामांकन वृद्धि 10वीं योजना की अपेक्षा 50 *प्रतिशत* कम थी
कक्षा 11–12	31.96 लाख	12.46 लाख	39.47 लाख	7.51 लाख	
विद्यालय की संख्या					
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	5834	851	6115	281	11वीं योजना की अवधि में नये विद्यालयों की संख्या वृद्धि 10वीं योजना की अपेक्षा 33 *प्रतिशत* कम थी
कक्षा IX से XII (14–18 वर्ष) तक के सकल नामांकन अनुपात					
लड़कें	62 प्रतिशत			सकल नामांकन अनुपात 11वीं योजना के निर्धारित लक्ष्य से 65 *प्रतिशत* कम था	
लड़कियाँ	56 प्रतिशत				
योग	59 प्रतिशत				

लिंग–भेद			
वर्ष	नामांकित लड़के	नामांकित लड़कियाँ	अंतर
	(प्रतिशत में)		
2007-08	60.61	39.39	21.22
2008-09	62.94	37.06	25.88
2009-10	59.31	40.69	18.62
2010-11	55.49	44.51	10.98
2011-12	57.34	42.66	14.68

योजनाओं का निष्कर्ष				
अवधि	वित्तीय परिव्यय एवं व्यय (रैकरोड़ में)		भैतिक उपलब्धि/कार्यक्रम का निष्कर्ष	
	बजट परिव्यय/नियतित	व्यय	भैतिक लक्ष्य	उपलब्धि/निष्कर्ष
उच्च प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	699.41	312.04	3753 विद्यालय	1021 (27)
माडल विद्यालय				
2007-12	446.96	184.80	200 विद्यालय	148 (74)
कन्या छात्रावास				
2007-12	8.70	-	344 छात्रावास	- (0)
ग्रामीण में निजी प्रबंध तंत्र द्वारा नए विद्यालयों की स्थापना हेतु अनार्वतन अनुदान				
2007-12	10.00	-	5000 विद्यालय	- (0)
नए शासकीय उच्च विद्याालयों की स्थापना तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उच्च विद्यालय स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	3.43.	1.79	15 विद्यालय	6 (40)
हाईस्कूल का इंटर स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	149.27	101.12	257 विद्यालय	257 (100)
शासकीय विद्यालय में अतिरिक्त अनुभागों की स्थापना				
2007-12	1.26	1.00	25 विद्यालय	05 (20)
कस्तुरबा गाँधी कन्या विद्यालय का उच्च विद्यालय स्तर तक उच्चीकरण				
2007-12	13.02	-	अकार्यान्वित	
नबोदय विद्यालय के प्रतिरूप आवासीय शासकीय उच्च विद्यालय की स्थापना				
2007-12	-	-	अकार्यान्वित	

कोष्ठक के आकड़े उपलब्धि प्रतिशत दर्शाता है

स्रोतः विभागीय आकड़े

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2012 को अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र

(संदर्भः प्रस्तर 3.1.2; पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग	अनुदान के भुगतान का वर्ष	कुल भुगतानित अनुदान		उपभोग प्रमाण–पत्र				उपभोग प्रमाण–पत्रों का अवशेष रहने का कारण
			संख्या	धनराशि	प्राप्त		अवशेष		
					संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	दुग्ध विकास विभाग	2007-08	881	11,752.28	476	6,484.28	405	5,268.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2008-09	812	8,385.30	415	4,597.77	397	3,787.53	
		2009-10	552	1,082.07	321	595.46	231	486.61	
		2010-11	317	1,960.64	159	1,214.43	158	746.21	
2	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0	2009-10	09	8,494.97	8	8,376.10	1	118.87	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
3	पर्यटन विभाग	2005-06	उप.नहीं	30.00	उप.नहीं	23.24	उप. नहीं	6.76	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2006-07	उप.नहीं	45.00	उप.नहीं	36.63	उप.नहीं	8.37	
		2007-08	उप.नहीं	45.00	उप.नहीं	33.61	उप.नहीं	11.39	
		2008-09	उप.नहीं	22.50	उप.नहीं	21.28	उप.नहीं	1.22	
4	उद्योग विभाग (हथकरघा)	2007-08	उप.नहीं	264.45	उप.नहीं	155.70	उप.नहीं	108.75	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2010-11	273	198.23	263	191.64	10	6.59	
5	पर्यावरण विभाग	2009-10	03	84.34	02	4.34	1	80.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2010-11	01	2.48	शून्य	0.00	01	2.48	
6	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान सं0–7	2010-11	27	27,056.56	25	26,996.56	02	60.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
7	समाज कल्याण विभाग	2009-10	उप.नहीं	2,23,486.98	उप.नहीं	2,18,822.11[1]	उप.नहीं	4,664.87	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2010-11	उप.नहीं	2,14,557.11	उप.नहीं	2,11,224.48[2]	उप.नहीं	3,332.63	
8	समाज कल्याण विभाग (जनजाति विकास)	2006-07	50	122.69	33	99.91	17	22.78	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2007-08	60	871.30	15	470.70	45	400.60	
		2008-09	50	859.85	13	352.87	37	506.98	
		2009-10	40	575.29	9	373.45	31	201.84	
		2010-11	44	207.08	9	26.43	35	180.65	
9	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2007-08	उप.नहीं	17,380.00	शून्य	0.00	उप.नहीं	17,380.00	लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया
		2008-09	उप.नहीं	1,82,290.94	शून्य	0.00	उप.नहीं	1,82,290.94	
		2009-10	142	93,322.90	शून्य	0.00	उप.नहीं	93,322.90	
		2010-11	उप.नहीं	1,24,739.36	शून्य	0.00	उप.नहीं	1,24,739.36	
10	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2005-06	6	46.00	3	26.00	3	20.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2006-07	18	194.86	12	118.86	6	76.00	
11	आयुर्वेदिक सेवाएं विभाग, उ0प्र0	2010-11	01	6.87	01	6.78	शून्य	0.09	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
12	महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0	2010-11	27	2,422.50	18	224.77	09	2,197.73	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया

[1] प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 23,129.81 लाख की समर्पित धनराशि सम्मिलित।

[2] प्राप्त उपभोगप्रमाण पत्रों में ₹ 24,342.09 लाख की समर्पित धनराशि सम्मिलित।

13	निदेशक प्राविधिक शिक्षा	2010-11	उप. नहीं	287.51	उप.नहीं	144.89	उप.नहीं	142.62	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
14	नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (राज्य नगर विकास अभिकरण)	2010-11	उप.नहीं	52,081.97	उप.नहीं	33,171.55	उप.नहीं	18,910.42	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
15	अल्प संख्यक विभाग उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ)	2006-07	3	186.35	2	176.35	1	10.00	जिलाधिकारी कार्यालय में ₹ 5–5 लाख दो दिवंगत हज यात्रियों को देने का कार्य प्रकिया में है
		2009-10	3	559.27	2	549.27	1	10.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
16	न्याय विभाग (उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ)	2005-06	उप नहीं	10.40	उप.नहीं	7.93	उप.नहीं	2.47	सुनियोजित शासन एवं प्रबंधन के कारण
		2006-07	उप.नहीं	14.43	उप.नहीं	11.39	उप.नहीं	3.04	
		2007-08	उप.नहीं	3.47	उप.नहीं	1.04	उप.नहीं	2.43	
		2008-09	उप.नहीं	69.68	उप.नहीं	63.98	उप.नहीं	5.70	
		2009-10	उप.नहीं	96.70	उप.नहीं	50.71	उप.नहीं	45.99	
		2010-11	उप.नहीं	62.70	उप.नहीं	62.09	उप.नहीं	0.61	
17	भाषा विभाग	2008-09	उप.नहीं	399.67	उप.नहीं	393.53[3]	उप.नहीं	6.14	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2009-10	उप.नहीं	552.88	उप.नहीं	543.37	उप.नहीं	9.51	
18	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	2008-09	72	8.00	33	3.57	39	4.43	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया
		2009-10	72	8.00	25	3.44	47	4.56	
		2010-11	72	8.00	24	2.07	48	5.93	
						योग	**1,525**	**4,59,194**	

[3] प्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों में ₹ 14.15 लाख की समर्पित धनराशि सम्मिलित।

परिशिष्ट

3.2 स्वायत्त निकाय संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 68)

क्र0 सं0	निकाय का नाम	इन्ट्रस्टमेंट की अवधि	वर्ष जब से लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	वर्ष जब तक कि पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत की गयी	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना	लेखाओं को बिलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	विलम्ब की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल संस्थान, कानपुर	2001-10	2009-10	2009-10	यह विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।	-	9 माह
2	जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा	2001-10	2009-10	2009-10		-	8 माह
3	जल संस्थान, इलाहाबाद	2001-10	2009-10	2009-10		-	19 माह
4	जल संस्थान, लखनऊ	2001-10	2009-10	2009-10		-	8 माह
5	जल संस्थान, वाराणसी	2001-10	2009-10	2009-10		-	21 माह
6	जल संस्थान, झाँसी	2001-10	2009-10	2009-10		-	12 माह
7	जल संस्थान, आगरा	2001-10	2009-10	2009-10		-	11 माह
8	उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ	2004-14	2008-09	2008-09	2004-05 से 2008-09 का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल में प्रस्तुत किया गया	2009-10, 2010-11 एवं 2011-12	2-26 माह
9	उ0प्र0 राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ	अधिनियम के प्रावधान के अनुसार	2006-07, 2007-08 एवं 2008-09	2006-07, 2007-08 एवं 2008-09	2006-07 से 2008-09 को समाप्त वर्ष का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया में है।	2009-10, 2010-11 एवं 2011-12	2-26 माह

3.3 विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 69)

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अंतिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
	सिंचाई विभाग		
1	सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ	2011-12	0.53
2	सिंचाई निर्माण खण्ड, झाँसी	2010-11	0.52
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, बरेली	2011-12	2.36
4	सिंचाई निर्माण खण्ड, कानपुर	2011-12	0.26
5	सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद	2010-11	4.53
6	सिंचाई निर्माण खण्ड, गोरखपुर	2011-12	1.59
	पशुपालन विभाग		
7	राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म	2009-10	17.03
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2008-09	2,131.07
	स्वास्थ्य विभाग		
9	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	0.09
	समाज कल्याण विभाग		
10	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर	1979-80	0.04
		योग	**2,158.02**

3.4 दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का ब्यौरा (जिसमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2012 तक लम्बित थी)

(संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 69)

(कोष्ठक में आँकड़े 'रु लाख में' प्रदर्शित हैं।)

क्र0 सं0	विभाग	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	4 (9.09)	-	-		-	4(9.09)
2	पशुपालन विभाग	-	1(0.26)	2 (0.39)	7(4.06)	5(1.82)	1 (0.02)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	1(1.28)	1(0.17)		-	2(1.45)
4	शिक्षा विभाग	5(112.94)	-	1(5.00)	-	-	-	6(117.94)
5	मत्स्य विभाग	-	-		3(2.07)	-	-	3(2.07)
6	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	1(3.06)	-	1(0.3 0)	5(23.39)	2(2.03)	9(28.78)
7	सिंचाई विभाग	20(111.62)	10(0.52)	23(4.58)	3(5.33)	-	-	56(122.05)
8	न्याय विभाग	-	1(4.44)	-	-	-	-	1(4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	4(5.79)	9(10.77)	-	13(16.56)
11	पुलिस विभाग	2(4.00)	-	-	1(1.21)	-	3(2.89)	6(8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	1(0.51)	-	2(47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	6(118.12)	6(36.41)	-	-	-	-	12(154.53)
14	राजस्व विभाग	2(9.29)	-	1 (1.72)	-	1(0.33)	3(6.09)	7(17. 43)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	3(1.65)	4(0.73)	5(1.46)	12 (3.84)
16	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	1(0.25)	-	2(0.70)	3(0.95)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1(11.59)	-	-	-	1(11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	1(1.01)	-	1(1.01)
19	उद्यान विभाग	1(3.59)	-	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	1(0.67)	-	1 (0.67)
	योग	**36 (359.56)**	**23 (53.78)**	**29 (24.56)**	**25 (68.31)**	**27 (39.23)**	**19 (344.97)**	**159 (890.41)**

परिशिष्ट

3.5 चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 69)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		सरकारी सामग्रियों की हानि/दुर्विनियोग के प्रकरण		कुल प्रकरण	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	1	1.47	3	7.62	4	9.09
पशुपालन विभाग	11	1.78	5	4.77	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	4	111.34	6	117.94
मत्स्य विभाग	0	0	3	2.07	3	2.07
खाद्य आपूर्ति विभाग	0	0	9	28.78	9	28.78
सिंचाई विभाग	47	15.54	9	106.51	56	122.05
न्याय विभाग	0	0	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	0	0	3	331.78	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	10	12.58	3	3.98	13	16.56
पुलिस विभाग	0	0	6	8.10	6	8.10
पी.ए.सी.	0	0	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	9	152.90	12	154.53
राजस्व विभाग	0	0	7	17.43	7	17.43
ग्राम्य विकास विभाग	5	1.38	7	2.46	12	3.84
समाज कल्याण विभाग	0	0	3	0.95	3	0.95
प्राविधिक शिक्षा विभाग	0	0	1	11.59	1	11.59
बाट एवंमाप विभाग	1	1.01	0	0	1	1.01
उद्यान विभाग	0	0	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	0	0	1	0.67	1	0.67
				योग	**159**	**890.41**

परिशिष्ट 3.6

वर्ष 2011-12 में विभागवार निस्तारित/अपलिखित किए गए प्रकरणों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 70)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	गृह (पुलिस) विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	न्यायालय द्वारा शासकीय धनराशि के गबन का प्रकरण समाप्त कर दिया गया था।	एक	0.65
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	सितम्बर 1990 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहना बाजार, गोण्डा के कैश चेस्ट की चोरी का प्रकरण	एक	0.32
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	जनवरी 1998 में डा0 राममनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, फर्रूखाबाद में चोरी का प्रकरण	एक	1.53
4	कृषि विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	सहायक निदेशक, मृदापरीक्षण/कल्वर, जिला वाराणसी कार्यालय में मोटरपार्ट्स् की चोरी का प्रकरण	एक	0.16
5	न्याय विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	जनपद न्यायालय आजमगढ़ में फर्जी टिकट का प्रकरण	एक	0.66
				योग	3.32